संख्या-85/2020/309/पांच-6-2020-09(नि0)/2020

प्रेषक

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2020**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैदराबाद उर्फ खड़ौआ, जनपद बरेली के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-12620/17फ/नि0नि0अ0/2019-20, दिनांक 10.01.2019, पत्र संख्या-12810/17फ/नि0नि0अ0/2019-20, दिनांक 23.01.2020 एवं शासनादेश संख्या-58/2019/568/पॉच-6-2019-03(निर्माण)/18, दिनांक 08.03.2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 03.01.2019 के द्वारा लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर स्वीकृत मानक आगणन पर रू0 138.31 लाख की प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 47.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- **अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैदराबाद उर्फ खड़ौआ, जनपद बरेली के भवन निर्माण हेतु रू0 195.57 लाख (रूपए एक करोड़ पन्चानबे लाख सत्तावन हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-**

1. **वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 एवं शासनादेश संख्या-58/2019/568/पॉच-6-2019-03(निर्माण)/18, दिनांक 08.03.2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26.08.2014 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
2. **प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 की होगी।**
3. **प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।**
4. **यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।**
5. **प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।**
6. **प्रायोजना के शर्त यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिये जायेगें।**

-2-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

7. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

8. प्रश्नगत कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लिया जायेगा।

9. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

10. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की आ0शा0 संख्या-वित्त ई0-3-338/दस-2020, दिनांक 18 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या-85/2020/309(1)/पांच-6-2020, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय , उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बरेली।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. निदेशक (सी0एच0सी0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली।
10. प्रबन्ध निदेशक/संबंधित परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, लखनऊ/बरेली।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
शशिकान्त शुक्ल
उप सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।